न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला—सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 49/2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/61

उनवान

1. श्री रूपजी पिता खेमा डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी करावली, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री देवीलाल पुत्र खेमा डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी करावली, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री लखमा पुत्र खेमा डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी करावली, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त.अधि. एवं आदेश 39, नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी.

—::निर्णय::—

दिनांकः— 11/02/2026

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता—प्रार्थी
श्री निलेश कुमार जैन अधिवक्ता— विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थी ने एक वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. के तहत पेश किया। प्रकरण संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा मौजा करावली स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 385 कुल किता 5 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर उनके संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। उक्त भूमि आज दिनांक तक अविभाजित है तथा उसका कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। सभी खातेदार संयुक्त रूप से भूमि का उपयोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु विधिक बंटवाड़ा नहीं होने के कारण हिस्सों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि की आराजी संख्या 1432 के एक भाग पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में उपयोग करने की नीयत से अवैध निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित भूमि पर किसी एक खातेदार को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण पूर्णतः अवैध एवं गैर—कानूनी है। यदि विपक्षीगण को इस प्रकार अवैध निर्माण करने दिया

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

गया तो वादी को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई धन से संभव नहीं है। साथ ही, भविष्य में विधिक बंटवाड़ा कठिन हो जाएगा तथा वाद बहुलता की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है एवं सुविधा संतुलन भी वादी के हित में है। अतः मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश कुमार जैन हाजिर आये। विपक्षीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 02–02–2026 जवाब विपक्षीगण का अवसर बन्द किया गया।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त आराजीयात की होकर अविभाजित है। अतः उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किये जाने हेतु सहमती जताई।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार हैं तथा उक्त भूमि का आज दिनांक तक कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है। यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि की आराजी संख्या 1432 के एक भाग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। अविभाजित संयुक्त संपत्ति पर किसी एक खातेदार को अन्य खातेदारों के अधिकारों को प्रभावित करते हुए निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विपक्षीगण को निर्माण कार्य जारी रखने दिया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि द्वारा संभव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके की यथास्थिति मूलवाद पांती बंटवाडे के निस्तारण तक बनाये रखे।

निर्णय दिनांक 11/02/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर